Uttar Pradesh
U.P. Human Rights Commission TC-34 V-1, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,, UTTAR PRADESH -120

Archana Dubey,
W/o Shri Amit Kumar Dubey Resident of Ghode Shahid, Ghurahu Patti, P.S. City Kotwali, MIRZAPUR , UTTAR PRADESH
Dated: 07/07/2026

Dear Archana Dubey,

The Commission has recieved your complaint and it has assigned diary number as **5264/IN/2026** with the following details:-

Complaint Details

Name:	Archana Dubey		
Mobile:	8840098979	**Email:**	archanadubeymzp1995@gmail.com
Address:	W/o Shri Amit Kumar Dubey Resident of Ghode Shahid, Ghurahu Patti, P.S. City Kotwali,		
District:	MIRZAPUR	**State:**	UTTAR PRADESH

File Uploaded suceesfully (Archanadoc.pdf)

Victim Details

Complainant and victim are the same person.

Incident Details

Incident Place:	Office of CO City Mirzapur	**Incident Date:**	18/02/2026
Incident Category:	ABUSE OF POWER		
Incident District:	MIRZAPUR	**Incident State:**	UTTAR PRADESH
Is it filed before any Court / State HRC	No		
Incident Details:	BEFORE THE HONORABLE UTTAR PRADESH STATE HUMAN RIGHTS COMMISSION, LUCKNOW In the Matter of: Case/File No: 28286/24/55/2025 Diary No: 8948/IN/2025 Victim/Complainant: Smt. Archana Dubey Versus Respondent: The Superintendent of Police, Mirzapur REJOINDER AND FORMAL LEGAL OBJECTION TO THE BIASED, DEFECTIVE INVESTIGATION REPORT DATED 18/02/2026 SUBMITTED BY THE LOCAL POLICE MOST RESPECTFULLY SHOWETH: 1. Total Failure to Address the Prime Criminal Acts of 24/10/2025 The complainant states that on 24/10/2025, the named accused persons (Vikas Kumar Dubey, Divya Devi, Savitri Devi, and their criminal associates) executed a planned daylight robbery and house trespass. The perpetrators broke the physical locks of her residence at Ghode Shahid, Ghurahu Patti, Police Station City Kotwali, Mirzapur. During this criminal trespass, the offenders looted gold jewelry valued at approximately ₹8 Lakh and stole essential household items, including a washing machine, refrigerator, television, cooler, and food items. The investigation report dated 18/02/2026, compiled by Circle Officer (CO) City, Vivek Jawla, completely fails to address the physical evidence of the broken locks or the forced entry. Instead, the local police have mechanically labeled this severe cognizable offense as a "family property dispute" to avoid their statutory obligation to register a First Information Report (FIR) under the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS). 2. Active Suppression of Crucial Digital Evidence (CCTV DVR) The local police report maintains a deliberate silence regarding the digital security infrastructure at the site of the crime. The complainant has repeatedly informed the investigating authorities that the private CCTV security system—installed and maintained by her husband—captured the entire lock-breaking, theft, and subsequent physical assault. The physical CCTV DVR is currently held under illegal custody by the accused individuals. The deliberate refusal of the local police to seize this critical digital evidence, despite possessing direct purchase and repair receipts proving the complainant's ownership, points to criminal suppression of evidence to shield the influential offenders. 3. Extreme Institutional Bias and Character Assassination in Evidence Review The Inquiry Officer has abandoned standard forensic procedures, relying entirely on the self-serving, unverified verbal statements of the accused party to dismiss the theft. The report adopts the verbatim claim of the accused, Savitri Devi, who alleged that the complainant "brought nothing" in her dowry, using this malicious statement to summarily dismiss the robbery of ₹8 Lakh in jewelry. A police inquiry lacks the judicial authority of a trial court. It cannot determine the facts of a violent robbery based on the character assassination of a victim by the perpetrators themselves. 4. Ineffectiveness of Minor Preventive Legal Action While the police report references a Charge Sheet in Case No. 188/25 regarding an earlier dispute in September, it offers absolutely			

no remedy or legal protection for the severe crimes committed subsequently in October. The minor preventive action initiated under Section 126/135 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) has proven entirely ineffective. The offenders continue to occupy the premises through illegal means, running up financial liabilities under the complainant's name, and holding the stolen property with absolute impunity. 5. Open Defiance of the Directives of this Honorable Commission This Honorable Commission issued an explicit directive on 29/12/2025 ordering the Superintendent of Police, Mirzapur, to take appropriate legal action while strictly "associating the complainant" in the process. The resulting investigation report is a mere "paper exercise" drafted behind closed doors. The local inquiry officers completely excluded the complainant from the verification process, validated the offenders' version of events, and ignored the physical dispossession and humanitarian crisis forced upon the victim. 6. Manifestation of a Severe Humanitarian Crisis The local police executed these mechanical closures with total blindness to the victim's extreme vulnerabilities. At the time of the forced eviction on 24/10/2025, Smt. Archana Dubey was seven months pregnant, entering her third trimester under severe medical, financial, and psychological trauma. Furthermore, because of continuous death threats issued by the offenders and their close associate, Tinku Tiwari, the complainant's nine-year-old minor daughter has been forcibly pulled out of school. The refusal to register an FIR or provide interim security violates basic human rights guidelines. PRAYER In light of the facts recorded above, the complainant humbly prays that this Honorable Commission may be pleased to: 1-- REJECT the highly biased, incomplete, and legally flawed investigation report dated 18/02/2026 submitted by the Mirzapur Police. 2- DIRECT the Superintendent of Police, Mirzapur, to immediately recover and seize the central CCTV DVR from the possession of the offenders to prevent the permanent destruction of electronic evidence. 3- ORDER a fresh, independent investigation by a senior officer outside the local police hierarchy into the daylight robbery, house trespass, and forced dispossession that occurred on 24/10/2025. 4- ENSURE immediate administrative protection for the pregnant victim and her nine-year-old minor daughter against ongoing threats to their lives. VERIFICATIONI, Archana Dubey, do hereby verify that the contents of this rejoinder are true to my personal knowledge, backed by material evidence, and based on official records. Verified at Mirzapur on this 7th day of July, 2026.(SMT. ARCHANA DUBEY)W/o Shri Amit Kumar DubeyResident of Ghode Shahid, Ghurahu Patti, P.S. City Kotwali, Mirzapur, U.P.Mobile: 8840098979

Account Number

1493926000

Discom

Purvanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd.(PUVNL)

Name
AMIT KUMAR DUBEY S/O LATE. ISHWAR PRASAD DUBEY

Due Date
23-05-2026

Amount before due date (₹)
13411

Payable Amount (₹)
13411

View Bill

View BR Memo

Payment Type

- (selected) Due Bill / Excess Amount
- Part Payment
- Advance Payment (in multiplicatio ₹1000)

Enter Amount to Pay (₹) *

13411

Total Amount to Pay (₹) *

13411

UPPCL Payment Terms and condition.

Back

Proceed

You can view your last online payment receipt here.

NOTE: If you have a Electricity BILL and want to know your Account Number click here or If you have a SBM Bill and want to know your Account Number click here.
Please note that this payment option is not for STS/ GENUS/ SECURE prepaid electricity meter recharge.

To Subscribe (OPT-IN) for WhatsApp messages. Click here

UPPCL

rtxp.in

कनेक्शन नं. **1493926000**
बकाया- रू० 13410.70
30-05-26 तक https://rtxp.in/UPPCLT/KljxPD पर भुगतान न करने पर कनेक्शन काट दिया जायेगा - UPPCL

9:08 PM

कनेक्शन नं. **1493926000**
बिल रू 9549.11
27-01-2026 तक भुगतान पर रू 0.00 की छूट
https://rtxt.in/UPPCLT/Dg1BbP पर बिल डाउनलोड/भुगतान करें–UPPCL 9:09 PM

कनेक्शन नं. **1493926000**
बकाया- रू० 3670.06
19-06-25 तक https://rtxt.in/UPPCLT/8pdNE7 पर भुगतान न करने पर कनेक्शन काट दिया जायेगा - UPPCL

9:10 PM

कनेक्शन नं. **1493926000**
बकाया- रू० 3670.06
19-06-25 तक https://rtxt.in/UPPCLT/8pnir9 पर भुगतान न करने पर कनेक्शन काट दिया जायेगा - UPPCL

9:10 PM

SHRC, Uttar Pradesh

Diary

No : 1841/IN/2026 is attached with Case / File No : 28286/24/55/2025

Main Case / File No : 28286/24/55/2025

Linked Diary No : 1841/IN/2026

Diary No	8948/IN/2025	**Case / File No**	28286/24/55/2025
Victim Name	ARCHANA DUBEY	**Registration Date**	26/12/2025

Action List (Click on Action given in blue color to view details)

Action No.	Action	Authority	Action Date
1	Disposed with Directions	THE SUPERINTENDENT OF POLICE- MIRZAPUR	29/12/2025

Expand All Action List

HRCNet HRCNet HRCNet HRCNet HRCNet HRCNet HRCNet HRCNet HRCNet

Action

Action : Disposed with Directions(Action No 1)

Action Date	29/12/2025
Authority	THE SUPERINTENDENT OF POLICE- MIRZAPUR
Procceeding	The hearing on the complaint was conducted online. I have perused the allegations made in the complaint of complainant Mrs Archana Dubey. This complaint be transmitted to the Superintendent of Police, Mirzapur for such action as deemed appropriate. The Superintendent of Police, Mirzapur is directed to take appropriate action within six weeks associating the complainant/victim and to inform him of the action taken in the matter. Subject to the above observations the complaint is finally disposed of.

Complaint

Diary No	8948/IN/2025	Section	M-2
Language	ENGLISH	Mode	BY INTERNET
Received Date	25/12/2025	Complaint Date	25/12/2025

Victim

Victim Name	ARCHANA DUBEY	**Gender**	Female

Religion	Hindu	**Cast**	General
Address	GHODE SAHID, MIRZAPUR CITY, KOTWALI CITY		
District	MIRZAPUR	**State**	UTTAR PRADESH

Complainant

HRCNet HRCNet HRCNet

Complainant Details of Main Case			
Name	ARCHANA DUBEY		
Address	GHODE SAHID, MIRZAPUR CITY, KOTWALI CITY		
District	MIRZAPUR	**State**	UTTAR PRADESH (231001)

Complainant Details of Linked Case			
Name	Archana Dubey		
Address	GHODE SHAHEED Ramai Patti Kotwali City		
District	MIRZAPUR	**State**	UTTAR PRADESH (231001)

Incident

Incident Place	REPORT OF CO MIRZAPUR CITY	**Incident Date**	29/11/2025
Incident Category	ABUSE OF POWER		
Incident District	MIRZAPUR	**Incident State**	UTTAR PRADESH
Incident Details			

Gmail

Archana Dubey <archanadubeymzp1995@gmail.com>

Complaint

1 message

nhrc.india@nic.in <nhrc.india@nic.in> Mon, Mar 16, 2026 at 1:19 PM
To: archanadubeymzp1995@gmail.com

Diary No.- 1841/in/2026
Assistant Registrar(LAW)
Fax No.: 011-2465 1332
Website : www.nhrc.nic.in

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION
(LAW DIVISION)
* * *
MANAV ADHIKAR BHAWAN, BLOCK-C,
G.P.O. COMPLEX, INA, NEW DELHI- 110023

Date : 16/03/2026

To,
ARCHANA DUBEY
GHODE SHAHEED RAMAI PATTI
KOTWALI CITY
MIRZAPUR , UTTAR PRADESH
PIN :-231001

Subject: Your Complaint received vide Diary No.1841/in/2026 in the Commission.

Sir/Madam,

I am directed to refer to the Complaint/Communication cited above, and to say that it has been attached with the Case No. 28286/24/55/2025, already registered in the matter. The status of the case may be viewed at the website of the Commission (www.nhrc.nic.in). For further correspondence, if so required, the Case No. 28286/24/55/2025 may be mentioned for reference.

Your’s faithfully

Assistant Registrar

कार्यालय पुलिस अधीक्षक मीरजापुर।

पत्रांक:आईजीआरएस-04/2026

दिनांक: अप्रैल 27 ,2026

सेवा में,

लोक शिकायत अनुभाग-3
(मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय)
उ0प्र0, लखनऊ।

महोदय,

कृपया आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त पी0जी0 पोर्टल (भारत सरकार) सन्दर्भ संख्याः 60000260075711 दिनांक 30-03-2026 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जो आवेदिका श्रीमती अर्चना दूबे पत्नी अमित कुमार दूबे निवासिनी घोड़े शहीद के सामने घुरहुपट्टी थाना को0 शहर, जनपद मीरजापुर के शिकायती प्रा0पत्र पर जाँच/कार्यवाही कराते हुए आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

उक्त के सन्दर्भ में सादर अवगत कराना है कि आवेदिका श्रीमती अर्चना दूबे उपरोक्त के प्रार्थना पत्र की जाँच क्षेत्राधिकारी नगर, जनपद मीरजापुर से करायी गयी। जाँच अधिकारी की आख्या की छायाप्रति संलग्न कर रिपोर्ट सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

27/4/26

(For) पुलिस अधीक्षक
मीरजापुर।

01 जनता द्वारा दिये गये शिकायती प्रार्थना पत्र का जांच प्रारुप

पुलिस अधीक्षक
जनपद मीरजापुर।

कृपया आईजीआरएस सन्दर्भ संख्या 60000260075711 के माध्यम से आवेदिका श्रीमती अर्चना दूबे पत्नी अमित कुमार दूबे नि0 घोडे शहीद के सामने घुरहू पट्टी थाना कोतवाली शहर जनपद मीरजापुर मो0नं0- 8840098979, के शिकायती प्रार्थना पत्र में अंकित आरोपों/तथ्यों की जांच उपलब्ध कराये जाने विषयक है:-

01- आवेदक शिकायतकर्ता का नाम/पिता का नाम पता व मो0नं0- श्रीमती अर्चना दूबे पत्नी अमित कुमार दूबे नि0 घोडे शहीद के सामने घुरहू पट्टी थाना कोतवाली शहर जनपद मीरजापुर मो0नं0- 8840098979

02- विपक्षी का नाम पता- विकास दूबे पुत्र स्व0 ईश्वर प्रसाद दूबे सा0 घुरहू पट्टी घोडे शहीद के सामने कोतवाली शहर जनपद मीरजापुर उम्र करीब 36 वर्ष मो0नं0- 9415689797 आदि।

03- शिकायतकर्ता द्वारा की गयी शिकायत का संक्षिप्त विवरण:- आवेदिका द्वारा अपने शिकायती प्रार्थना पत्र में परिवार के लोगों द्वारा सम्पत्ति में हिस्सा न देने, चोरी करने गाली गलौज व जान माल की धमकी देने आदि कतिपय आरोप अंकित किया गया है।

04- जाँच करने वाले अधिकारी का नाम व पद:- विवेक जावला क्षेत्राधिकारी नगर, जनपद मीरजापुर।

05- जाँच का सारांश:- संदर्भित प्रकरण की जांच मुझ क्षेत्राधिकारी द्वारा सम्पादित की गयी। तमामी जाँच व अभिलेखिय साक्ष्यों का परिशीलन किया गया तथा थाना विन्ध्याचल से आख्या प्राप्त की गयी। आवेदिका श्रीमती अर्चना दूबे उपर्युक्त के पति अमित कुमार दूबे व विपक्षी विकास दूबे पुत्रगण स्व0 ईश्वर प्रसाद दूबे, आपस में सगे भाई है तथा दोनों अलग-अलग रहते है। आवेदिका के ससुर ईश्वर प्रसाद दूबे, जो शिक्षा विभाग में बडे बाबू थे, जिनकी सेवाकाल में ही वर्ष 2014 में मृत्यु हो गयी, जिसके उपरान्त आवेदिका की सास को पेंशन मिल रही है तथा आवेदिका के पति अमित कुमार दूबे आश्रित के रुप में नौकरी कर रहे है। आवेदिका के ससुर द्वारा जीवित रहते हुये 02 मकान घोड़े शहीद में बनवाया गया है, जिसमें से एक मकान में आवेदिका की सास अपने छोटे लडके के साथ रह रही है तथा दुसरा मकान किराये पर देना बता रही हैं। आवेदिका का कहना है कि उन्हे जो ससुराल से दहेज में सामान मिला है, उसे उनकी माँ द्वारा वापस कर दिया जाय, जिसके सम्बन्ध में दौरान जाँच आवेदिका की सास द्वारा बताया गया कि अर्चना मेरे लडके की दुसरी पत्नी है, जिसकी शादी वर्ष 2011 में हुई है। अर्चना गरीब घर की लडकी थी, दान दहेज में कुछ भी नहीं लायी थी। मेरे लडके की पहली शादी वर्ष 2005 में ममता देवी पुत्री मिथलेश मिश्रा सा0 बारीपुर लालगंज मीरजापुर के साथ हुआ था, लेकिन पति पत्नी में आपसी विवाद के कारण मेरे बडे लडके का ममता से तलाक हो गया। ममता जो दान दहेज के रुप में लेकर आयी थी,तलाक के समय वापस कर दिया गया।

उपर्युक्त प्रकरण के सम्बन्ध में आवेदिका/वादिनी मुकदमा श्रीमती अर्चना देवी पत्नी अमित कुमार दूबे निवासी घोड़े शहीद के पास सिविल लाइन थाना कोतवाली शहर जनपद मीरजापुर की लिखित सूचना के आधार पर दिनांक 21.09.2025 को थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0-188/25 धारा 115(2)/352/351(2)/333

Scanned with OKEN Scanner

बीएनएस बनाम विकास दूबे पुत्र स्व0 ईश्वर प्रसाद दूबे निवासी घोड़े शहीद के पास सिविल लाइन थाना कोतवाली शहर जनपद मीरजापुर व 2-4 व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 धनन्जय सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद मीरजापुर द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग उपरोक्त में नामित अभियुक्त विकास दूबे पुत्र स्व0 ईश्वर प्रसाद दूबे के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या ए-164/25 दिनांक 12.10.2025 को मा0 न्यायालय चालान किया गया है।

चूँकि प्रकरण पारिवारिक सम्पत्ति के लेन देन व बटवारे से सम्बन्धित है, जिसके सम्बन्ध में उभयपक्षों को हिदायत किया गया कि चाराजोई मा0 न्यायालय कर अनुतोष प्राप्त करें। शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत उभयपक्षों के विरूद्ध दिनांक 01.01.2026 को अन्तर्गत धारा 126/135 बीएनएसएस में कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गयी है। वर्तमान समय में शान्ति व्यवस्था कायम है, फिर भी थानाध्यक्ष कोतवाली शहर जनपद मीरजापुर को निर्देशित किया गया है कि प्रकरण पर लगातार सतर्क दृष्टि बनाये रखे, ताकि कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो तथा मौके पर शान्ति व सौहार्द बना रहे। आवेदिका द्वारा पारिवारिक व रंजिश को लेकर ही अन्य कतिपय आरोप अंकित किया गया है, जिसके सम्बन्ध में दौरान जाँच कोई पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं पाया गया।

जांच आख्या अवलोकनार्थ सादर सेवा में प्रेषित है।

06 - कार्यवाही का विवरण/प्रस्तावित कार्यवाही का विवरण:- उपरोक्तानुसार

07 - आरोप सिद्ध हो रहे हैं या नहीं- निल

08 - अन्य कोई आवश्यक तथ्य हो तो उसका विवरण – निल

दिनांक: अप्रैल, 09 2026

(विवेक जावला)
क्षेत्राधिकारी नगर
मीरजापुर।

Scanned with OKEN Scanner

General Diary Details
सामान्य दैनिकी विवरण

State (राज्य): उत्तर प्रदेश

P.S. (थाना): कोतवाली शहर

District (जिला): मिर्ज़ापुर

1. G.D. No. (रोजनामचा सं.): 036
2. G.D. Date (रोजनामचा दिनांक): 01/01/2026 13:35 बजे
3. G.D. Type (रोजनामचा प्रकार): निवारक कार्यवाई
4. Entry for (officer) (प्रविष्टि(अधिकारी के लिए)): अवर निरीक्षक
5. Case Type (प्रकरण के प्रकार) : प्रौढ
6. Subject (विषय):
   वापसी उ0नि0 व दाखिला 02 किता चालानी रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 126/135 बीएनएसएस व 01 किता 135(3) बीएनएसएस
7. G.D. Brief
   वापसी उ0नि0 व दाखिला 02 किता चालानी रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 126/135 बीएनएसएस व 01 किता 135(3) बीएनएसएस रिपोर्ट के मै उ0नि0 राकेश राय चौकी प्रभारी फतहाँ थाना को0 शहर मीरजापुर रवाना होकर जाच प्रा0पत्र देखभाल चौकी क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन अन्दर क्षेत्र से मय 02 किता चालानी रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 126/135 बीएनएसएस व 01 किता 135(3)बीएनएसएस रिपोर्ट के उपस्थित थाना आया। कार्य विवरण इस प्रकार है कि मै उ0नि0 चौकी हाजा से रवाना होकर देखभाल क्षेत्र जाँच प्रार्थना पत्र मे मोहल्ला घोडे शहीद घुरहूपट्टी पहुचा तो ज्ञात हुआ कि प्रथम पक्ष की 1. अर्चना देवी पत्नी अमित कुमार दुबे उम्र करीब 30 वर्ष 2.अमित कुमार दुबे पुत्र स्व0 ईश्वर चन्द दुबे उम्र करीब 32 वर्ष निवासी घोडे शहीद घुरहूपट्टी थाना को0शहर जनपद मीरजापुर व द्वितीय पक्ष के 1.विकास दुबे पुत्र ईश्वर प्रसाद दुबे उम्र करीब 27 वर्ष 2.दिव्या देवी पत्नी विकास दुबे उम्र करीब 26 वर्ष निवासीगण घोडे शहीद घुरहूपट्टी थाना को0शहर जनपद मीरजापु के मध्य मकान बटवारे व मुकदमा लिखवाने के विवाद को लेकर आपस मे तनाव व कशीदगी व्याप्त है। दोनो पक्ष कभी भी शान्ति व्यवस्था भग कर सकते है। शान्ति व्यवस्था के दृष्टगत रखते हुए उभय पक्षो का चालान अन्तर्गत धारा 126/135 बीएनएसएस मे माननीय न्यायालय किया जा रहा है। अत महोदय से निवेदन है कि उभय पक्ष उपरोक्त को अधिक से अधिक जमानत धनराशि व मुचलका से पावन्द करने की कृपा करे। विस्तृत विवरण मुन्दर्जा चालानी रिपोर्ट अंकित है। है0मो0/का0मो0 को हिदायत किया गया कि समय से चालानी रिपोर्ट माननीय न्यायालय प्रेषित करे। मै उ0नि0 पुन देखभाल चौकी क्षेत्र फतहाँ रवाना हुआ।
8. Acts & Sections (अधिनियम और धारा(एं)):

S.No.(क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एं))

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 19/04/2026
Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):
Name (नाम): Dayashankar Ojha
Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

Signature (हस्ताक्षर):
Name (नाम): Dayashankar Ojha
Rank (पद): SI (Sub-Inspector)
No.(सं.): 162160505

Scanned with OKEN Scanner

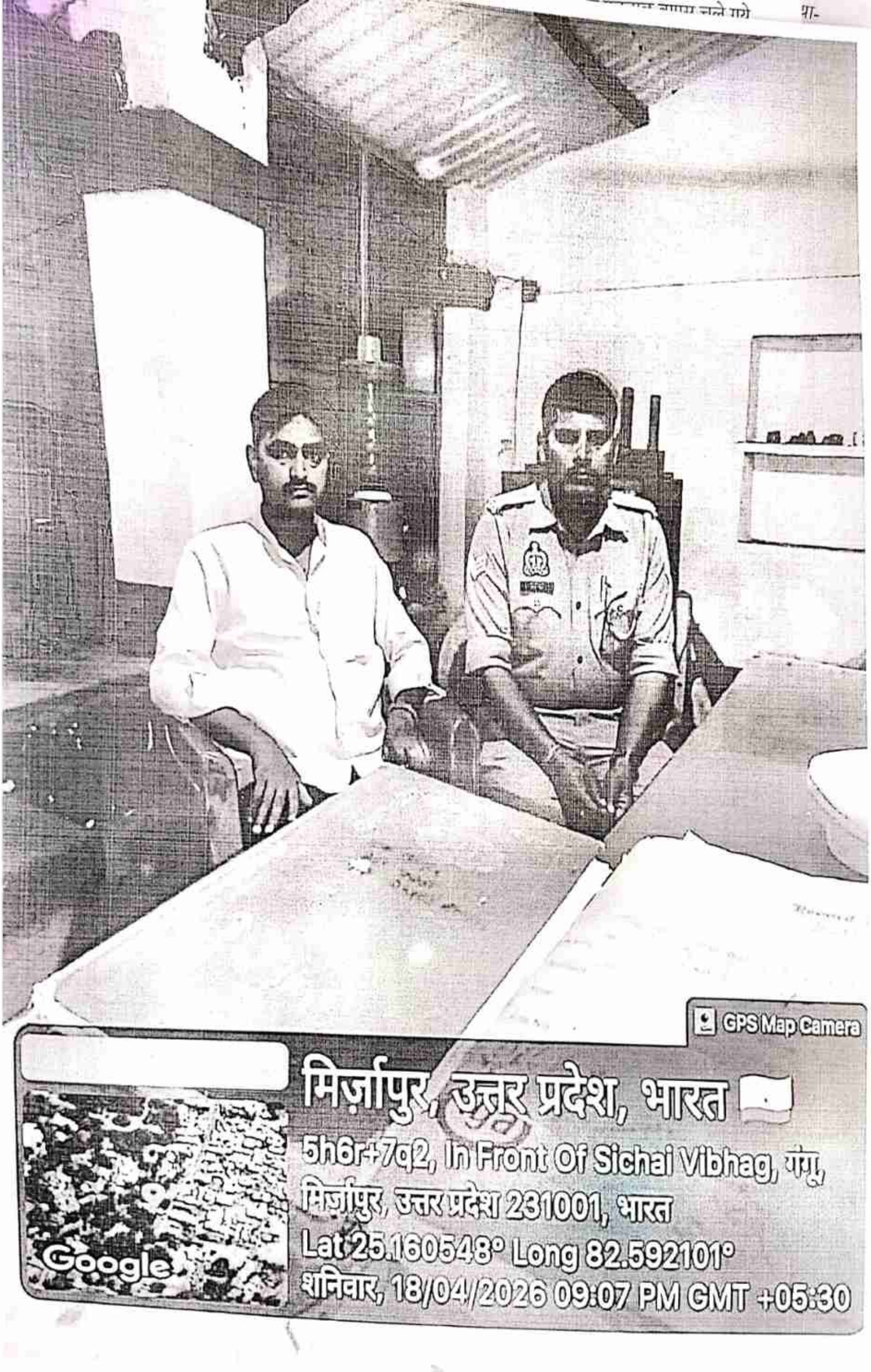

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय पुलिस अधीक्षक मीरजापुर।

पत्रांकः आईजीआरएस-07/2026 दिनांकः जुलाई 07,2026

सेवा में,

लोक शिकायत अनुभाग-3
(मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय)
उ0प्र0, लखनऊ।

महोदय,

कृपया आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त पी0जी0 पोर्टल (भारत सरकार) सन्दर्भ संख्याः 60000260160409 दिनांक 25-06-2026 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जो आवेदिका श्रीमती अर्चना दूबे पत्नी अमित कुमार दूबे नि0 घोड़े शहीद के सामने घुरहू पट्टी थाना को0 शहर, जनपद मीरजापुर के शिकायती प्रा0पत्र पर जाँच/कार्यवाही कराते हुए आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

उक्त के सन्दर्भ में सादर अवगत कराना है कि आवेदिका श्रीमती अर्चना दूबे उपरोक्त के प्रार्थना पत्र की जाँच क्षेत्राधिकारी नगर, जनपद मीरजापुर से करायी गयी। जाँच अधिकारी की आख्या की छायाप्रति संलग्न कर रिपोर्ट सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

7/7/26

पुलिस अधीक्षक
मीरजापुर।

01 जनता द्वारा दिये गये शिकायती प्रार्थना पत्र का जांच प्रारूप

पुलिस अधीक्षक
जनपद मीरजापुर।

कृपया आईजीआरएस सन्दर्भ 60000260160409/ 60000260147251 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्राप्त आवेदिका **श्रीमती अर्चना दूबे पत्नी अमित कुमार दूबे सा0 घुरुहुपट्टी धोडे शहीद कोतवाली शहर जनपद मीरजापुर मो0नं0-8840098979,** के शिकायती प्रार्थना पत्र में अंकित आरोपों/तथ्यों की जांच कर आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है:-

01.शिकायतकर्ता का नाम पता व मो0नं0- श्रीमती अर्चना दूबे पत्नी अमित कुमार दूबे सा0 घुरुहुपट्टी धोडे शहीद कोतवाली शहर जनपद मीरजापुर मो0नं0 8840098979

02. विपक्षी/प्रतिवादी का नाम पता- विकाश दूबे पुत्र इश्वर प्रसाद सा0 घोडे शहीद थाना कोतवाली शहर जनपद मीरजापुर आदि।

03. शिकायत का संक्षिप्त विवरण- आवेदिका अपने प्रार्थना पत्र में विपक्षीगण के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत न किया जाना आदि कतिपय आरोप अंकित किया गया है।

04. जांच करने वाले अधिकारी का नाम व पद – अमित कुमार, क्षेत्राधिकारी नगर, जनपद मीरजापुर।

05. जांच का सारांश:- संदर्भित प्रकरण की जांच मुझ क्षेत्राधिकारी द्वारा सम्पादित की गयी। तमामी जाँच व अभिलेखिय साक्ष्यों का परिशीलन किया गया तथा थाना कोतवाली शहर से आख्या प्राप्त की गयी। आवेदिका श्रीमती अर्चना दूबे उपर्युक्त के पति अमित कुमार दूबे व विपक्षी विकास दूबे पुत्रगण स्व0 ईश्वर प्रसाद दूबे, आपस में सगे भाई है तथा दोनों अलग-अलग रहते है। आवेदिका के ससुर ईश्वर प्रसाद दूबे, जो शिक्षा विभाग में बडे बाबू थे, जिनकी सेवाकाल में ही वर्ष 2014 में मृत्यु हो गयी, जिसके उपरान्त आवेदिका की सास को पेंशन मिल रही है तथा आवेदिका के पति अमित कुमार दूबे आश्रित के रुप में नौकरी कर रहे है। आवेदिका के ससुर द्वारा जीवित रहते हुये 02 मकान घोड़े शहीद में बनवाया गया है, जिसमें से एक मकान में आवेदिका की सास अपने छोटे लडके के साथ रह रही है तथा दुसरा मकान किराये पर देना बता रही हैं। आवेदिका का कहना है कि उन्हे जो ससुराल से दहेज में सामान मिला है, उसे उनकी माँ द्वारा वापस कर दिया जाये, जिसके सम्बन्ध में दौरान जाँच आवेदिका की सास द्वारा बताया गया कि अर्चना मेरे लडके की दूसरी पत्नी है, जिसकी शादी वर्ष 2011 में हुई है। अर्चना गरीब घर की लडकी थी, दान दहेज में कुछ भी नहीं लायी थी। मेरे लडके की पहली शादी वर्ष 2005 में ममता देवी पुत्री मिथलेश मिश्रा सा0 बारीपुर लालगंज मीरजापुर के साथ हुआ था, लेकिन पति-पत्नी में आपसी विवाद के कारण मेरे बडे लडके का ममता से तलाक हो गया। ममता जो दान दहेज के रुप में लेकर आयी थी, तलाक के समय वापस कर दिया गया था।

उपर्युक्त प्रकरण के सम्बन्ध में आवेदिका/वादिनी मुकदमा श्रीमती अर्चना देवी पत्नी अमित कुमार दूबे निवासी घोड़े शहीद के पास सिविल लाइन थाना कोतवाली शहर जनपद मीरजापुर की लिखित सूचना के

Scanned with OKEN Scanner

आधार पर दिनांक 21.09.2025 को थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0-188/25 धारा 115(2)/352/351(2)/333 बीएनएस बनाम विकास दूबे पुत्र स्व0 ईश्वर प्रसाद दूबे निवासी घोड़े शहीद के पास सिविल लाइन थाना कोतवाली शहर जनपद मीरजापुर व 2-4 व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 धनन्जय सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद मीरजापुर द्वारा सम्पादित की गयी है। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग उपरोक्त में नामित अभियुक्त विकास दूबे पुत्र स्व0 ईश्वर प्रसाद दूबे के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या ए-164/25 दिनांक 12.10.2025 को मा0 न्यायालय चालान किया गया है।

चूँकि प्रकरण पारिवारिक सम्पत्ति के लेन देन व बटवारे को लेकर है, जिसके सम्बन्ध में उभय पक्षों को हिदायत किया गया कि चाराजोई मा0 न्यायालय कर अनुतोष प्राप्त करें। उभयपक्षों के मध्य व्याप्त कसीदगी को देखते हुये शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत उभयपक्षों के विरूद्ध दिनांक 01.01.2026 को अन्तर्गत धारा 126/135 बीएनएसएस के तहत कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गयी है फिर भी थानाध्यक्ष कोतवाली शहर जनपद मीरजापुर को निर्देशित किया गया है कि प्रकरण पर लगातार सतर्क दृष्टि बनाये रखे, ताकि कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न न होने पाये तथा मौके पर शान्ति व सौहार्द बना रहे। आवेदिका द्वारा पारिवारिक व रंजिश को लेकर ही अन्य कतिपय आरोप अंकित किया गया है, जिसके सम्बन्ध में दौरान जाँच कोई पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं पाया गया।

जांच आख्या सादर सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित है।

06.कार्यवाही का विवरण/प्रस्तावित कार्यवाही का विवरण- उपरोक्तानुसार

07.आरोप सिद्ध हो रहे है या नहीं- निल

08.अन्य कोई आवश्यक तथ्य हो तो उसका विवरण- निल

दिनांक- जुलाई 07,2026

(अमित कुमार)
क्षेत्राधिकारी नगर
मीरजापुर।

Scanned with OKEN Scanner

General Diary Details
सामान्य दैनिकी विवरण

State (राज्य): उत्तर प्रदेश

P.S. (थाना): कोतवाली शहर

District/Unit (जिला/इकाई): मिर्जापुर

1. G.D. No. (रोजनामचा सं.): 036
2. G.D. Date (रोजनामचा दिनांक): 01/01/2026 13:35 बजे
3. G.D. Type (रोजनामचा प्रकार): निवारक कार्यवाई
4. Entry for (officer) (प्रविष्टि(अधिकारी के लिए)): अवर निरीक्षक
5. Case Type (प्रकरण के प्रकार) : प्रौढ
6. Subject (विषय):
   वापसी उ0नि0 व दाखिला 02 किता चालानी रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 126/135 बीएनएसएस व 01 किता 135(3) बीएनएसएस
7. G.D. Brief
   वापसी उ0नि0 व दाखिला 02 किता चालानी रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 126/135 बीएनएसएस व 01 किता 135(3) बीएनएसएस रिपोर्ट के
   मै उ0नि0 राकेश राय चौकी प्रभारी फतहाँ थाना को0 शहर मीरजापुर रवाना होकर जाँच प्रा0पत्र देखभाल चौकी क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन अन्दर क्षेत्र से मय 02 किता चालानी रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 126/135 बीएनएसएस व 01 किता 135(3)बीएनएसएस रिपोर्ट के उपस्थित थाना आया। कार्य विवरण इस प्रकार है कि मै उ0नि0 चौकी हाजा से रवाना होकर देखभाल क्षेत्र जाँच प्रार्थना पत्र मे मोहल्ला घोड़े शहीद पुरहूपट्टी पहुचा तो ज्ञात हुआ कि प्रथम पक्ष की 1. अर्चना देवी पत्नी अमित कुमार दुबे उम्र करीब 30 वर्ष 2.अमित कुमार दुबे पुत्र स्व0 ईश्वर चन्द दुबे उम्र करीब 32 वर्ष निवासी घोड़े शहीद पुरहूपट्टी थाना को0शहर जनपद मीरजापुर व द्वितीय पक्ष के 1.विकास दुबे पुत्र ईश्वर प्रसाद दुबे उम्र करीब 27 वर्ष 2.दिव्या देवी पत्नी विकास दुबे उम्र करीब 26 वर्ष निवासीगण घोड़े शहीद पुरहूपट्टी थाना को0शहर जनपद मीरजापु के मध्य मकान बटवारे व मुकदमा लिखवाने के विवाद को लेकर आपस मे तनाव व कटीदगी व्याप्त है। दोनो पक्ष कभी भी शान्ति व्यवस्था भंग कर सकते है। शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत रखते हुए उभय पक्षो का चालान अन्तर्गत धारा 126/135 बीएनएसएस मे माननीय न्यायालय किया जा रहा है। अतः महोदय से निवेदन है कि उभय पक्ष उपरोक्त को अधिक से अधिक जमानत धनराशि व मुचलका से पाबन्द करने की कृपा करे। विस्तृत विवरण मुन्दर्जा चालानी रिपोर्ट अंकित है। हे0मो0/का0मो0 को हिदायत किया गया कि समय से चालानी रिपोर्ट माननीय न्यायालय प्रेषित करे। मै उ0नि0 पुनः देखभाल चौकी क्षेत्र फतहाँ रवाना हुआ।
8. Acts & Sections (अधिनियम और धारा(एँ)):

S.No.(क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 01/07/2026

Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):

Name (नाम): Dayashankar Ojha

Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

Signature (हस्ताक्षर):

Name (नाम): Dayashankar Ojha

Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

No.(सं.): 162160505

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner